न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1008 सन 2020

अनवान :—

1. सैन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शंकरलाल पुत्र भालसिह जाति कुम्हार (प्रभापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. भालसिह पुत्र सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
2. रामीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सतीश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सावित्री पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
5. प्रमेश्वरी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
6. रानी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
7. सुनिता पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
8. सुमित्रा पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
9. भीमसैन पुत्र मायादेवी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. निकिता शर्मा पुत्री मायादेवी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
11. अजय शर्मा पुत्री मायादेवी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
12. राहुल कुमार पुत्र मायादेवी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
13. मोहनी पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
14. शारदा पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. खुशी पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
16. करीना पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 टी.के.एम. के खाता संख्या 37/35 की कुल 10.8270हैक रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 95/83 की कुल 1.6951हैक व रोही मौजा चक 5 केएम के खाता संख्या 68/60 की कुल 1.7720हैक भूमि मृतक सुलतान पुत्र बालूराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज सुलतान पुत्र बालुराम का देहान्त हो चुका है सुलतान पुत्र बालुराम की पत्नि कलावतीदेवी का भी देहान्त हो चुका है सुलतान पुत्र बालुराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिनमें से ओमप्रकाश पुत्र एवं माया पुत्री का देहान्त हो चुका है इसप्रकार सुलातन पुत्र बालुराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो सुलतान पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज भूमि को विरासतन से प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 वादी की बहने है एवं मृतक सुलातन की पुत्रिया है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 सुलतान की मृतक पुत्री मायादेवी के वारिसान है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 सुलतान के मृतक पुत्र ओमप्रकाश के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 ने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज सुलतान पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज है सुलतान पुत्र बालुराम एवं उसकी पत्नि कलावती का देहान्त हो चुका है सुलतान पुत्र बालुराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो सुलतान की भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 टी.के.एम. के खाता संख्या 37/35 की कुल 10.8270हैक्ट रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 95/83 की कुल 1.6951हैक्ट व रोही मौजा चक 5 केएम के खाता संख्या 68/60 की कुल 1.7720हैक्ट भूमि मृतक सुलतान पुत्र बालूराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज सुलतान पुत्र बालुराम का देहान्त हो चुका है सुलतान पुत्र बालुराम की पत्नि कलावतीदेवी का भी देहान्त हो चुका है सुलतान पुत्र बालुराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिनमें से ओमप्रकाश पुत्र एवं माया पुत्री का देहान्त हो चुका है इसप्रकार सुलातन पुत्र बालुराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो सुलतान पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज भूमि को विरासतन से प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 वादी की बहने है एवं मृतक सुलातन की पुत्रिया है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 सुलतान की मृतक पुत्री मायादेवी के वारिसान है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 सुलतान के मृतक पुत्र ओमप्रकाश के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 टी.के.एम. के खाता संख्या 37/35 की कुल 10.8270हैक्ट रोही मौजा चक 19

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 95/83 की कुल 1.6951हैक्ट व रोही मौजा चक 5 केएम के खाता संख्या 68/60 की कुल 1.7720हैक्ट भूमि मृतक सुलतान पुत्र बालूराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी के पूर्वज सुलतान पुत्र बालुराम का देहान्त हो चुका है सुलतान पुत्र बालुराम की पत्नि कलावतीदेवी का भी देहान्त हो चुका है सुलतान पुत्र बालुराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिनमें से ओमप्रकाश पुत्र एवं माया पुत्री का देहान्त हो चुका है इसप्रकार सुलातन पुत्र बालुराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो सुलतान पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज भूमि को विरासतन से प्राप्त करने के अधिकारी है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में सुलतान पुत्र बालुराम का मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टि होती है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 टीकेएम के खाता संख्या 37/35 की कुल 10.8270हैक्ट जो सुलतान पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 5.4135हैक्ट एवं वादी संख्या 2 अकेला 2.0240हैक्ट एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 3.3895हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 95/83 की कुल 1.6951हैक्ट भूमि एवं रोही मोजा चक 5 केएम के खाता संख्या 68/60 की कुल 1.7720हैक्ट भूमि जो मृतक सुलतान के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सैन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शंकरलाल पुत्र भालसिह जाति कुम्हार (प्रभापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 भालसिह पुत्र सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
2 रामीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 सतीश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4 सावित्री पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
5 प्रमेश्वरी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
6 रानी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
7 सुनिता पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
8 सुमित्रा पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
9 भीमसैन पुत्र मायादेवी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10 निकिता शर्मा पुत्री मायादेवी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
11 अजय शर्मा पुत्री मायादेवी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
12 राहुल कुमार पुत्र मायादेवी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
13 मोहनी पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14 शारदा पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15 खुशी पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
16 करीना पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1008 सन 2020 निर्णय दिनांक– 11/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 टीकेएम के खाता संख्या 37/35 की कुल 10.8270हैक जो सुलतान पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 5.4135हैक एवं वादी संख्या 2 अकेला 2.0240हैक एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 3.3895हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 95/83 की कुल 1.6951हैक भूमि एवं रोही मोजा चक 5 केएम के खाता संख्या 68/60 की कुल 1.7720हैक भूमि जो मृतक सुलतान के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

(उपखण्ड अधिकारी)
नोहर

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सैन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 शंकरलाल पुत्र भालसिह जाति कुम्हार (प्रभापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. भालसिह पुत्र सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
2. रामीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सतीश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सावित्री पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
5. प्रमेश्वरी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
6. रानी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
7. सुनिता पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
8. सुमित्रा पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
9. भीमसैन पुत्र मायादेवी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. निकिता शर्मा पुत्री मायादेवी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
11. अजय शर्मा पुत्री मायादेवी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
12. राहुल कुमार पुत्र मायादेवी पुत्री सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
13. मोहनी पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. शारदा पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. खुशी पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर
16. करीना पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1008 सन 2020 निर्णय दिनांक– 11/01/2021

आज यह प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपरिथिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रामीदेवी व प्रतिवादी संख्या 10 का नाम निकिता शर्मा व प्रतिवादी संख्या 11 का नाम अजय शर्मा ,अंकित है के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम रानीदेवी व प्रतिवादी संख्या 10 का नाम निकिता वर्मा , प्रतिवादी संख्या 11 का नाम अजय वर्मा अंकित किया जाता है शेष डिक्री यथावत रहेगी व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/2/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner